

संख्या-770/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
गृह विभाग,  
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 08/06/2023

विषय:- अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ०प्र०, लखनऊ को आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विविध उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-एफ०एस०-525-2021, दिनांक-05.04.2023 एवं महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एसएफ(टी)-231-2022 दिनांक-27.03.2023 जो गृह विभाग के माध्यम से दिनांक-10.04.2023 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेण्डई फ्रेमवर्क फार एक्शन (2015-2023) की प्राथमिकताओं व लक्ष्य की प्राप्ति एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु "राज्य आपदा मोचक निधि" से ₹ 96,00,00,000/- के धनावंटन का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-17.05.2023 में लिए गए निर्णयानुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ०प्र०, लखनऊ को आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विविध उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु ₹ 96,00,00,000/- की धनराशि आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में प्रथमतः ₹ 48,00,00,000/- (रुपये अड़तालिस करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय वर्ष-2023-24 में निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ०प्र०, लखनऊ को अविलम्ब अवमुक्त की जाये।

#### नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I, दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेंडरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख-रखाव, मरम्मत एवं पी०ओ०एल० संबंधी व्यय आदि विभागीय बजट से किया जायेगा।
10. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों / सामग्रियों का क्रय एक साथ चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 48,00,00,000/- (रूपये अड़तालिस करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग  
Date: 08-06-2023 16:26:46  
(सुधीर गर्ग)  
Reason: Approved  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या:-770(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ०प्र०।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ० प्र०।

- 5- पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 10- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)  
विशेष सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-05/08/2023

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:-  
अनुदान संख्या:-  
लेखाशीर्षक:-

770  
001-770

51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं  
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                                                |                    | 24-वृत्त निमाण<br>कार्य  | योग                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01-- | वर्तमान<br>प्रणामी | 4800000000<br>4800000000 | 4800000000<br>4800000000 |
|       | योग                                                                | वर्तमान<br>प्रणामी | 4800000000<br>4800000000 | 4800000000<br>4800000000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया अड़तालीस करोड़  
रूपया अड़तालीस करोड़

(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी